न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या —81/2024 (अपील) दायर दिनांकः— 17.12.2024
जीसीएमएस नं0 2024/208

1. लोकेश पुत्र रतन सिंह, जाति मीणा निवासी गोड़क तहसील चेचट जिला कोटा
2. राहुल पुत्र राकेश जाति मीणा, निवासी गोडक तहसील चेचट जिला कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र राधाकृष्ण जाति मीणा निवासी मोडक, तहसील चेचट जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार चेचट जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्व इंतकाल संख्या 51/1452 आदेश दिनांक 20.12.2004 नायब तहसीलदार चेचट

उस्थिति

1. श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 26.08.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोडक में सत्यनारायण आत्मज राधांकृष्ण जाति मीना निवासी मोडक को खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा आवंटित भूमि के तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 20.12.2004 से गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदत्त की जाने से आदेश दिनांक 20.12.2004 की पालना में नायब तहसीलदार चेचट ने आवंटी अप्रार्थी सत्यनारायण के हक में खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा एवं खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदारी अधिकार का नामान्तरकरण संख्या 51/1452 दिनांक 20.12.2004 दर्ज कर स्वीकार किया गया ।

2. वकील अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार चेचट के नामान्तरकरण आदेश दिनांक 20.12.2004 के अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 एवं 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 16.12.2024 को प्रस्तुत की है कि नामान्तरकरण नम्बर 1452 दिनांक 20.12.2004 जिसके द्वारा रेस्पेडेन्ट कम 1 को पूर्व खसरा नम्बर 783 पर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है । यह कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है । नामान्तरकरण नम्बर 1452 खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा आराजी के सम्बन्ध में था परन्तु इसकी आड़ खसरा नम्बर 783 पर रेस्पेडेन्ट कम 1 को खातेदारी प्रदान की गई है और इसी नामान्तरकरण 1452 के आधार पर राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेन्ट कम 1 का नाम बतौर खातेदार दर्ज कर दिया गया है जो अवैधानिक है । नामान्तरकरण संख्या 1452 आवंटित आराजी खसरा नम्बर 783 से सम्बन्धित नहीं होने के कारण इस नामान्तरकरण की आड में रेस्पेडेन्ट कम 1 को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गये जो निरस्त योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये जो रेस्पोडेन्ट को डिलीवर्ड हो चुके है । प्रकरण में तहसीलदार चेचट ने पत्रांक/भू.अभि./2025/943 दिनांक 7.8.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । वकील अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत की गई ।

जिला कलक्टर
कोटा

4. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम मोडक तहसील चेचट में सेटलमेन्ट के पूर्व ख्सरा नम्बर के पूर्व 783 की 1 बीघा 13 बिस्वा आराजी नाकाबिल काश्त दर्ज थी । उक्त आराजी खसरा नम्बर 783 के बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर कायम किए गए है । उक्त आराजी अवैधानिक रूप से आवंटन नियमों के विपरीत रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई एवं कब्जा नहीं होते हुए भी गैर खतेदारी बाबत नामान्तरकरण संख्या 781 रेस्पोडेन्ट के हक में दर्ज कर दिया और बाद में अपीलाधीन नामांन्तरकरण संख्या 1452 के जरिये दिनांक 20.12.2004 को कानूनी प्रावधानों के विपरीत खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिए जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट का पूर्वजों के समय से ही कब्जा चला आ रहा है । पक्के मकान व टीनशेड एवं बाडे बने हुए है । उक्त आराजी अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 986 की आराजी के लगा है जो स्ट्रीप ऑफ लेण्ड की तारीफ में आती है । रेस्पोडेन्ट के हक में नामान्तरकरण नम्बर 1452 दिनांक 20.12.2004 के आधार पर अवैधानिक रूप से खातेदारी अधिकार पूर्व खसरा नम्बर 783 पर प्रदान किये है जो अवैधानिक है । खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण 1452 था परंतु इसकी आड में खातेदारी अधिकार खसरा नम्बर 783 पर रेस्पोडेन्ट कम 1 को प्रदान किये गये है और इसी नामान्तरकरण के आधार पर खातेदारी में नाम दर्ज कर दिया गया ।राजस्व रिकार्ड से पूर्णतया साबित है कि खसरा नम्बर 702 की आराजी अन्य खातेदार धापूबाई वगै0 की है एवं नामान्तरकरण 1452 जेर अपील खसरा नम्बर 702 की 5 बीघा के मामले में तस्दीक किया जाना स्पष्ट है परंतु इसकी आड में रेस्पो0 को खसरा नम्बर 783 की आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । आवंटी रेस्पो0 कम 1 सत्यनारायण इन्स्ट्रूमेन्टेशन फैक्ट्री मे नोकरी करता था, इसके पिता राज्य कर्मचारी थे, रेस्पो0 भूमिहीन नहीं था, आवंटन का पात्र नहीं था, आराजी फ्रोड एवं मिसरीप्रजेन्टेशन के आधार पर आवंटन कराई है और आवंटन के आधार पर आज तक कब्जा प्राप्त नहीं किया । बिना जांच के गैर खातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है । नामान्तरकरण संख्या 1452 जेर अपील रिकार्ड का समुचित अवलोकन किये बिना तस्दीक किया गया है जो खसरा नम्बर 702 के सम्बन्ध में इसकी आड में खसरा नम्बर 783 पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है जानकारी की दिनांक से अपील प्रस्तुत की है न्यायहित में अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावें । अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 51 /1452 वाके ग्राम मोडक जिसके द्वारा खसरा नम्बर 783 पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 को खातेदारी अधिकार दिये हुये है जिसे निरस्त किया जावे और हाल खसरा नम्बर 989 से रेस्पो0 का नाम राजस्व अभिलेख से हटाया जावें ।

5. पेरोकार सरकार द्वारा तहसीलदार चेचट से प्राप्त टिप्पणी में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि पटवारी हल्का मोडक द्वारा प्रशासन आपके द्वारा शिविर 2004 केम्प मोडक मे खातेदारी दिये जाने हेतु नामान्तरकरण संख्या 51/1452 दर्ज किया गया, जिसमें खसरा नम्बर 702 की 5 बीघा वाले गैर खातेदार को खातेदारी दिये जाने हेतु नामान्तरकरण दर्ज किया गया , तत्पश्चात पटवारी हल्का मोडक द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 10 व 11 में खसरा नम्बर 783 की 1 बीघा 13 बिस्वा का भी अंकन कर खातेदारी दे दी गई है तथा उक्त नामान्तरकरण का जमाबंदी में भी अमल हो चुका है । गत खसरा नम्बर 702 की 5 बीघा के नये खसरा नम्बर 872 रकबा 0.81 हे0 है । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार केवल खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा के ही खातेदारी देने के आदेश हुए है । खसरा नम्बर 783/1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदारी के आदेश नहीं हुए है किन्तु नामान्तरकरण में पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किये है ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण में पत्रांक/भू.अभि./2025/943 दिनांक 7.8.2025 से प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार चेचट द्वारा आवंटी अप्रार्थी सत्यनारायण के हक में खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा एवं खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदारी अधिकार का नामान्तरकरण संख्या 51/1452 दिनांक 20.12.2004 दर्ज कर स्वीकार किया गया के विरूद्व यह अपील इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि खातेदारी अधिकार का आदेश खसरा नम्बर 702 रकबा 5 बीघा के सम्बन्ध में था, खसरा नम्बर 783 की रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के

खातेदारी अधिकार नहीं होते हुए भी खसरा नम्बर 702 के साथ खसरा नम्बर 783 भी खातेदारी हेतु नामान्तरकरण में दर्ज कर दिये गये, आगे यह भी कहा कि खसरा नम्बर 783 उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 986 के लगवा है जिस पर अपीलान्ट के पूर्वजो के समय से ही मकान टीनशेड बने हुए होना बताया है, अर्थात खसरा नम्बर 783 पर उनका कब्जा है, खसरा नम्बर 783 पर कब्जा होने के आधार पर ही यह अपील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 783 की खातेदारी को निरस्त कर पूर्व की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम करने का निवेदन किया है । अपीलान्ट ने धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलांट ने आवंटन एवं आवंटन पश्चात गैर खातेदारी दर्ज करने के नामान्तरकरण पर भी प्रश्न उठाया है, किन्तु आवंटन यदि गलत एवं त्रुटिपूर्ण एवं विधि अनुरूप नहीं होने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा ही आवंटन निरस्त कराने का अधिकार है, अपीलांट केवल कब्जे के आधार पर आवंटन निरस्त कराने का अधिकारी नहीं है । प्रकरण में हमने तहसीलदार चेचट से भी रिपोर्ट ली गई । तहसीलदार चेचट ने पत्रांक/भू.अभि./2025/943 दिनांक 7.8.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस अनुसार खातेदारी दिये जाने हेतु नामान्तरकरण संख्या 51/1452 दर्ज किया गया जिसमें खसरा नम्बर 702 की 5 बीघा वाले गैर खातेदार को खातेदारी दिये जाने हेतु नामान्तरकरण दर्ज किया गया, तत्पश्चात पटवारी हल्का मोडक द्वारा नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 10 व 11 में खसरा नम्बर 783 की 1 बीघा 13 बिस्वा का भी अंकन कर खातेदारी दे दी गई, जिसके नवीन खसरा नम्बर 989 रकबा 0.25 हे0 है, जिसका जमाबंदी में भी अमल हो चुका है । इस प्रकार खातेदारी हेतु दर्ज नामान्तरकरण सं0 1452 में बिना खातेदारी आदेश के ही खसरा नम्बर 783 की 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदारी का अंकन कर दिया बदनियतीपूर्वक किया गया कृत्य है । अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार तो नहीं है किन्तु अपील में गुणावगुण का बिन्दु निहित होन से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार चेचट को रिमाण्ड किया जाना उचित पाते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 51/1452 दिनांक 20.12.2004 में से खसरा नम्बर 783 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी अधिकार निरस्त करने की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार चेचट को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते है कि खसरा नम्बर 783 की 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि बिना खातेदारी आदेश के ही नामान्तरकरण संख्या 51/1452 में खातेदारी हेतु दर्ज कर दिया जाने से अपीलाधीन नामान्तरकरण से उक्त खसरा नम्बर 783 की खातेदारी निरस्त करते हुए नवीन आदेश पारित करें, साथ ही यदि खसरा नम्बर 783 की रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने, आवंटन त्रुटिपूर्ण होने, आवंटन शर्तो की पालना नहीं होने की स्थिति में आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण पृथक से भिजवाया जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलक्टर
कोटा